

नकली खाद कारोबार का एक बार फिर हुआ उद्देदन

हिन्दुस्तान टीम, खगड़िया | Newswrap
Thu, 20 Jan 2022 04:12 AM

खगड़िया | नगर संवाददाता

जिले में एक बार फिर से नकली खाद कारोबार का उद्देदन हुआ है। बताया जाता है कि बीते 27 दिसंबर को बेलदौर प्रखंड के पिरनगरा से एक खाद दुकान में छापेमारी की गई थी।

छापेमारी में जब्त किए गए एमओपी व डीएपी के जांच में यह मानक से काफी कम यानि नगण्य मिला। यानि इन दुकान में नकली रसायनिक खाद की बिक्री की जा रही थी। बताया जाता है कि बीते 27 दिसंबर को पिरनगरा के धनंजय शर्मा के मकान में नाथो शर्मा द्वारा अवैध रूप से खाद का कारोबार किया जाता था। दुकानदार द्वारा बिना लाइसेंस के दुकान का संचालन किया जा रहा था। इसकी सूचना पर सहायक अनुसंधान पदाधिकारी राजेश कुमार के नेतृत्व में एक गठित टीम ने छापेमारी की थी।

इसके बाद बिना लाइसेंस के खाद व बीज की बिक्री करने के मामले में बेलदौर थाने में मामला दर्ज कराया गया था। इसके बाद जब्त किए गए खाद का संयुक्त निदेशक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, मीठापुर फार्म में जांच कराया गया। जांच में इन खादों में मानक का व्यापक स्तर पर कमी पाई गई। बताया जाता है कि मीठापुर फार्म को एमओपी व डीएपी का तीन उर्वरक नमूना भेजा गया था।

क्या मिला जांच रिपोर्ट: विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उर्वरक नियंत्रण आदेश के अनुसार एमओपी में केटूओ का 60 प्रतिशत होना चाहिए। इसके विरुद्ध इसमें केटूओ की मात्रा मात्र 5.76 प्रतिशत मिला। यानि यह अमानक निकला। वहीं डीएपी के एक नमूने में नाइट्रोजन 18 प्रतिशत के विरुद्ध यह शून्य पाया गया।

जबकि पीटूओ फाइव यानि फास्फोरस की मात्रा 46 प्रतिशत के विरुद्ध मात्र 0.78 प्रतिशत था। वहीं दूसरे नमूने में भी नाइट्रोजन शून्य व फास्फोरस की मात्रा मात्र 0.25 प्रतिशत पाया गया। इससे यह खाद नकली साबित हुआ है। 15 नवंबर को कार्रवाई में पहली बार हुआ था नकली खाद का उद्देदन

मुफस्सिल थाना क्षेत्र के संसारपुर गांव के निकट बीते 15 नवंबर को कृषि विभाग के अधिकारियों ने छापेमारी कर लगभग 15 लाख रुपए मूल्य के 1450 बोरा नकली खाद का बोरा जब्त किया था। कार्रवाई के दौरान पप्पू साह के दो मंजिला गोदाम में अवैध बायो फर्टिलाइजर पैकिंग किए जाने का भंडाफोड़ हुआ था। बताया जाता है कि यहां एक खाद कंपनी के नाम से बोरे में डीएपी एवं एमओपी का पैकिंग किया जाता था। कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई में ट्रक से उतारे जा रहे नकली बिना लेबल के खाद को जब्त किया गया था। गोदाम में जब छापेमारी की गई तो वहां पहले से ही काफी मात्रा में अन्य खाद खुले हुए भी रखे हुए थे। ट्रक से मंगाए गए 840 बोरा जब्त खाद की अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख से अधिक रुपए बताई जा रही है। छापेमारी के दौरान मौका का फायदा उठाते हुए कारोबारी उमैन्द्र प्रसाद दीवार फांदकर भागने में सफल रहा था। बताया जाता है कि कृषि विभाग के अधिकारियों को लगतार नकली खाद के कारोबार किए जाने की सूचना मिलने के बाद कार्रवाई की गई थी और मामले का उद्देदन हो सका था। अधिकारियों ने रंगे हाथ नकली खाद के साथ ट्रक को जब्त कर लिया था। इस दौरान गोदाम में शक्तिमान कंपनी के बायो डीएपी एवं बायो एमओपी के साथ-साथ पैकिंग व वजन करने की मशीन, शक्तिमान कंपनी का बोरा आदि बरामद हुआ था।

बेगूसराय से मंगायी जाती थी नकली खाद

विभागीय सूत्र बताते हैं कि पिरनगरा के इस कारोबारी द्वारा पूर्व में बेगूसराय जिले के एक प्रखंड से नकली खाद से मंगाया जाता था। हालांकि इसके लिए पुलिस को व विभागीय अधिकारियों को तफ्तीश करते हुए नकली खाद के कारोबार करने वालों तक पहुंचना होगा। जिससे ऐसे खाद कारोबारी द्वारा किए जा रहे मनमानी पर रोक लग सके।

नकली खाद कारोबार करने वालों को चिन्हित किया जा रहा है। बिना लाइसेंस के व अधिक कीमत पर खाद बेचने वाले व्यावसायियों पर भी कार्रवाई की जा रही है। नियम के विपरीत कारोबार करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। शैलेश कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी

Source: <https://www.livehindustan.com/bihar/khagaria/story-fake-fertilizer-business-exposed-once-again-5617839.html>